भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 770

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

सार्वजनिक सड़कों पर लावारिस वाहन

770. श्रीमती शांभवी:
श्री अतुल गर्ग:
डॉ. लता वानखेड़े:
श्री राजेश वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में सार्वजनिक सड़कों, सड़क के किनारे के स्थानों और दुकानों/कबाड़खानों के बाहर बड़ी संख्या में लावारिस या कबाड़ में पड़े वाहनों पर ध्यान दिया है, जिससे यातायात जाम, अतिक्रमण, प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करके प्रमुख शहरों और कस्बों में एक वर्ष से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़े ऐसे वाहनों की अनुमानित संख्या पर कोई आंकड़ा एकत्र किया है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे वाहनों को हटाने, नीलामी या पुनर्चक्रण के लिए मौजूदा कानूनी या प्रशासनिक प्रावधान क्या हैं और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उन्हें किस प्रकार लागू किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का सार्वजनिक स्थानों से लावारिस वाहनों को हटाने के लिए सख्त समय-सीमा, दंड या केंद्रीकृत तंत्र प्रारम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) परित्यक्त या जब्त वाहनों के प्रबंधन के लिए कानूनी प्रावधानों में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 127, पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25-27 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 497, 498, 503 और 504 शामिल हैं, जो राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रवर्तन अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बाद ऐसे वाहनों को हटाने, प्रबंधित करने, बेचने या अन्यथा निपटाने का अधिकार देता है।

सरकार ने समय-समय पर विभिन्न राज्य पुलिस अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया है।

ऐसे वाहनों को हटाना और निपटाना मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है, क्योंकि वाहन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), पुलिस अधिनियम और मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस की संपत्ति

के रूप में जब्त किए या रखे जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे वाहनों की पहचान करने और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 8 (viii) और नियम 10 (vi) प्रवर्तन एजेंसियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) के माध्यम से स्क्रैपिंग के लिए नीलाम, जब्त या परित्यक्त वाहनों को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं जो ऐसे वाहनों का अधिक वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****